


### आदेश

तकनीकी शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन भोपाल, द्वारा "मध्यप्रदेश राज्य मुकद्दमा प्रबंधन नीति 2018" के अंतर्गत जारी निर्देशानुसार संस्थान स्तर पर अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में शिकायत निवारण समिति का गठन तत्काल प्रभाव से किया जाता है। :

- |                        |   |           |
|------------------------|---|-----------|
| 1. डॉ. अभय मिश्रा      | — | उपाध्यक्ष |
| 2. प्रो. अर्चना तिवारी | — | सदस्य     |
| 3. डॉ. आर.एस. जादौन    | — | सदस्य     |
| 4. डॉ. मनीष सागर       | — | सदस्य     |

उक्त के तारतम्य में, संस्थान के समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अधिकारी/कर्मचारियों (कार्यरत् एवं सेवानिवृत्त) को सूचित किया जाता है कि सेवा संबंधी मामलों हेतु न्यायालयों में जाने से पूर्व सर्वप्रथम संस्थान की उक्त शिकायत निवारण समिति के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे ताकि संस्थान स्तर पर प्रकरण का निवारण किया जा सके।

  
(डॉ. आर.के. पण्डित) 22.12.18  
निदेशक ५

प्रतिलिपि:

1. समस्त संबंधितों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
2. समस्त डीन/विभागाध्यक्ष/विभाग प्रमुख/छात्रावास अधीक्षकों की ओर लेख है कि अधिनस्थों में सूचना प्रसारित करने हेतु
3. समस्त सूचना पटल
4. प्रशासनिक अधिकारी
5. निदेशक कार्यालय
6. स्थापना